9/11/21

गांवों के संग अभियान-2021

'प्रशासन गांवो के संग अभियान– 2021'' के अन्तर्गत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश होने से पंचायत समिति, भूपालसागर में शिविर दिनांक 09.11.2021 शिविर स्थल ग्राम पंचायत, भूपालसागर में पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने स्वयं की ग्राम कांकरवा में स्थित संयुक्त निजी खातेदारी की आराजियात 4686 रकबा 0.41 है., आ.सं. 4687 रकबा 0.51 है. किता 2 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमियों पर पुख्ता सीमांकन नहीं होने से आये दिन विवाद होने से पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। शिविर स्थल पर हल्का पटवारी से मौका स्थिति के बारे में जानकारी ली गई, हल्का पटवारी ने बताया कि मौके पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरगढ़ी करवाई जाना उचित है। पत्रावली के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरवा में स्थित निजी खाते की आराजियात संख्या 4686 रकबा 0.41 है., आ.सं. 4687 रकबा 0.51 है. किता 2 रकबा 0.92 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी की जाने हेतु तहसीलदार, भूपालसागर को 500 रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं हो, अन्य किसी न्यायालय में वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं हो एवं मौके पर फसल खड़ी नहीं हो, कि जानकारी करने के उपरांत ही उभयपक्ष को सूचित कर, दोनों पक्षों की मौजूदगी में अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। [illegible] पत्थरगढ़ी का कमिश्नरी शुल्क मौके पर प्राप्त कर, शुल्क का [illegible] संधारित करें। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:21 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

क्रमांक/राजस्व/प्र0गां0सं0अ0 2021/प.(01-2020)

दिनांक :-09.11.2021

निमित,

तहसीलदार
भूपालसागर

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

1. लाल सिंह पिता देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. प्रेमकुवर पुत्री देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. फतेहसिंह पिता देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. राधाकुवर पुत्री देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. लक्ष्मीकंवर पुत्री देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. सायर कुंवर पत्नी देवी सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. नरेन्द्र सिंह पिता भैरूसिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
2. रणजीत सिंह पिता कालु सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
3. फतेहसिंह पिता कालु सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
4. लेहरसिंह पिता शंकर सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. जितेन्द्र सिंह पिता राधेश्यामसिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
6. विजय सिंह पिता शंकर सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
7. दिपक सिंह पिता लाल सिंह राजपुत नि. कांकरवा तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 01/2020

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/- रूपया शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि ग्राम कांकरवा पटवार हल्का कांकरवा तहसील भूपालसागर में स्थित आ0सं0 4686 रकबा 0.41 है. आ0स0 4687 रकबा 0.51 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.92 [illegible] य पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं [illegible] पत्थरगढ़ी अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खडी न हो, एवं अन्य किसी [illegible] कोई वाद लम्बित/विचाराधिन नहीं हो, तो पत्थरगढ़ी की जावें एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित [illegible] जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2021.11.10 15:58:21 IST
Reason: SelfAttested

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर